रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258217
CG-DL-E-24102024-258217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2024/कार्तिक 2, 1946
No. 4273] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2024/KARTIKA 2, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4647(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथलौर कुशालिया वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 4240(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4240(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 4240(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएगे, अर्थात्:--

"**5. मानीटरी समिति--**(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी

के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

(i)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
(ii)	ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(iii)	प्रादेशिक अधिकारी, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन ;
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजाब सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है।	सदस्य ;
(v)	पंजाब राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।	सदस्य ;
(vi)	ग्रामीण विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(vii)	पंजाब राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य, पदेन ;
(viii)	कृषि, पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(ix)	गुरदासपुर के जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य-सचिव, पदेन ;

6. मानीटरी समिति के कार्य.—(1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उप पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(4) मानीटरी समिति, मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को निदर्शन पत्र प्रस्तुत करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा.सं. 25/35/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4202(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

S.O. 4647(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Kathlaur Kushalia Wildlife Sanctuary, Punjab in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.4204 (E), dated the 28th December, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.4204 (E), dated the 28th December, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.4204 (E), dated the 28th December, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab	Chairman, ex officio;
(ii)	One representative of Department of Rural Development and Panchayat, State Government of Punjab	Member, ex officio;
(iii)	Regional Officer, Punjab State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(iv)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment nominated by the Government of Punjab for a period of three years.	Member
(v)	One expert in the area of ecology and environment nominated by the State Government of Punjab for a period of three years.	Member
(vi)	One representative of Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab	Member, ex officio;

(vii)	Member of the Punjab State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(viii)	One representative of Agricultural, Government of Punjab	Member, ex officio;
(ix)	One representative of District Collector of Gurdaspur	Member, ex officio;
(x)	Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area)	Member Secretary, ex officio.

6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in **Annexure-IV**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/35/2014-/ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4202 (E), dated the 28th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.24 22:25:47 +05'30'